Dr Sachidanand Prasad.
Dept. of Philosophy
R.R.S. College, Mokama.

(1)

B.A. (Hons) Part III
Philosophy - Paper VI
Topic Liberty.

Dr. Sachidanand Prasad.
Dept. of Philosophy.
R.R.S. College, Mokama.

समानता की भावना में भावात्मक एवं निषेधात्मक दो पक्ष है जिसमें भावात्मक पक्ष इस बात का संकेत करता है कि सभी को समान अवसर उपलब्ध हो। समान अवसर का अर्थ है कि अवसर अपनी योग्यता और इच्छाओं के अनुकूल हो। सभी की योग्यताएँ और इच्छाएँ एक समान नहीं होती है इसलिए समान अवसर का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के चरम विकास का अवसर। निषेधात्मक पक्ष में लास्की के अनुसार विशेषाधिकार की अनुपस्थिति आता है। यदि किसी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार हो तो समानता में बाधा आती है इसलिए लास्की के अनुसार समानता का अर्थ व्यवहार की एकरूपता नहीं है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व भिन्न है तबतक व्यवहार की एकरूपता संभव नहीं है। इसलिए सामाजिक तथा राजनैतिक अर्थ में समानता का अर्थ है - व्यक्तित्व विकास के समान अवसर जिसमें तीन मुख्य तत्व है।

(i) प्रत्येक को समान अवसर
(ii) किसी को विशेषाधिकार का अभाव
(iii) न्यूनतम ~~आवश्यकता~~ आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति।

लास्की ने दो प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया है— राजनैतिक समानता तथा आर्थिक समानता। बार्कर ने समानता का दो रूप बतलाया है— वैधानिक समानता तथा सामाजिक समानता। ब्राइस ने चार प्रकार की समानताओं का उल्लेख किया है— नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और प्राकृतिक समानता।

प्राकृतिक समानता— चूँकि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है।

~~आर्थिक~~ आर्थिक समानता— किसी व्यक्ति को अपने चरम विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है इसलिए आर्थिक समानता का होना जरूरी है।

वैधानिक समानता— वैधानिक समानता मौलिक आधार है जिसका अर्थ है कि कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है।

राजनैतिक समानता - इसका अर्थ है बिना किसी भेद-भाव के समान राजनैतिक अधिकार। जैसे वोट देने का अधिकार

अन्तर्राष्ट्रीय समानता - ~~अर्थ~~ अन्तर्राष्ट्रवाद की मान्यता है कि सभी स्वशासित राष्ट्र एक परिवार के सदस्य जैसे हैं जो समानता, शान्ति और परस्पर सहयोग से एक सूत्र मे बँधे हैं।

सामाजिक समानता — सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए ~~अवसर~~ समान अवसर प्रदान किया गया है। सामाजिक भेद-भाव को समाप्त करना इसका उद्देश्य है।